

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 17/18

अरविंद त्यागी पुत्र समीराम त्यागी आयु 54 वर्ष
परिचिज ऑफीसर मैसर्स मारबल विनायल
लिमिटेड मालनपुर, निवासी || गुलधर
गालियावाद उ0प्र0, ऑफिस पता जी 73 कर्नाट
सरकस न्यू देहली

—आवेदक

विरुद्ध
पुलिस थाना मालनपुर

—अनावेदक

जमानत आवेदन क्रमांक 18/18

संदीप तिवारी पुत्र रामानुज तिवारी आयु 32 वर्ष
स्टोर कीपर मैसर्स मारबल विनायल लिमिटेड
मालनपुर, निवासी बी-16 शंकरपुरी गोवर्धन
कालोनी ग्वालियर

—आवेदक

विरुद्ध
पुलिस थाना मालनपुर

—अनावेदक

जमानत आवेदन क्रमांक 19/18

सुनील कुमार पुत्र महेंद्र सिंह आयु 33 वर्ष,
सहायक प्रबंधक एच.आर. मैसर्स मारबल विनायल
लिमिटेड मालनपुर, निवासी कल्लू काछी की
बगिया बिरला नगर ग्वालियर

—आवेदक

विरुद्ध
पुलिस थाना मालनपुर

—अनावेदक

जमानत आवेदन क्रमांक 20/18

चेतन कुमार सिंह पुत्र स्व. श्री आई.पी. सिंह आयु
54 वर्ष, वाइस प्रेसीडेंट मैसर्स मारबल विनायल
लिमिटेड मालनपुर, निवासी सी-27 गोविंदपुरी
ग्वालियर

—आवेदक

विरुद्ध
पुलिस थाना मालनपुर

—अनावेदक

17-01-2018

आवेदक/अभियुक्तगण अरविंद, संदीप, सुनील व चेतन की ओर से
राकेश गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना मालनपुर से अपराध क्रमांक 11/18 अंतर्गत धारा 420 व 406 भा0दं0सं0 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

उल्लेखनीय है कि जमानत आवेदन क्रमांक 17/18 आवेदक अरविंद का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 का है। जमानत आवेदन क्रमांक 18/18 आवेदक संदीप जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 का है। जमानत आवेदन क्रमांक 19/18 आवेदक सुनील जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 का है तथा जमानत आवेदन क्रमांक 20/18 आवेदक चेतन जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 का है। इस प्रकार एक ही मामले में चारों आवेदक/अभियुक्तगण के पृथक-पृथक जमानत आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। चारों जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होने के कारण चारों जमानत आवेदनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

आवेदक/अभियुक्तगण अरविंद, संदीप, सुनील व चेतन की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश गुप्ता द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्रों अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उपरोक्तानुसार चारों प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये हैं और न ही निराकृत हुये हैं।

सभी आवेदकगण के जमानत आवेदन पत्रों अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्षों को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्तगण अरविंद, संदीप, सुनील व चेतन की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदकगण समाज में प्रतिष्ठित एवं शिक्षित व्यक्ति के रूप में हैं। पुलिस द्वारा झूठी शिकायत के आधार पर आवेदकगण के विरुद्ध अजमानतीय अपराध कायम कर लिया गया है, जबकि आवेदकगण द्वारा न तो कोई अपराध घटित किया है और न ही किसी अपराध से उनका कोई संबंध है। यदि आवेदकगण को पुलिस द्वारा झूठे आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तो आवेदकगण की दैहिक स्वतंत्रता का हनन होकर सामाजिक प्रतिष्ठा बर्बाद हो जायेगी और उनके परिवार का जीवन बर्बाद हो जायेगा। आवेदकगण के विरुद्ध पूर्व में कोई भी फौजदारी प्रकरण किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं रहे हैं। पुलिस आवेदकगण को झूठे प्रकरण में फंसाकर परेशान करना चाहती है। आवेदकगण फरार होने वाले नहीं हैं। आवेदकगण सभी शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर हैं। अतः इन्हीं सब आधारों पर उन्हें अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन करते हुये सूची मुताबिक दस्तावेज पेश किये हैं।

आवेदकगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री राकेश गुप्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में सम्मानीय न्यायदृष्टांत ए0आई0आर0 1978 सुप्रीम कोर्ट 429, ए0आई0आर0 1980 सुप्रीमकोर्ट 1632, (2010)1 सुप्रीमकोर्ट केसेस 684 एवं 2015।। एम.पी.डब्लू.एन 5 प्रस्तुत किये हैं।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया गया है तथा प्रस्तुत सम्मानीय न्यायदृष्टांतों के तथ्यात्मक परिस्थितियों को भिन्न होना बताया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्षों के निवेदनों पर विचार करते हुये प्रस्तुत सूची मुताबिक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत सम्मानीय न्यायदृष्टांतों एवं कैफियत सहित संपूर्ण केस डायरी का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन अनुसार दिनांक 19.12.17 को एक व्यक्ति जिसने अपना नाम आर.के. शर्मा बताया और कहा कि वह मारबल विनायक कंपनी में काम करता है। उसने व अपनी साथी रमेश अग्रवाल ने मिलकर स्क्रेप का माल खरीदा जिसे तुम्हें वह कम रेट में दे देगा और उसने मोबाईल नंबर 9893420576 से मोबाईल नंबर 7757945824 से बात कराई और कहा कि उसके पास 10 लाख के करीब स्क्रेप होगा। 10 लाख रुपये लेकर मारबल विनायक कंपनी मालनपुर आया उक्त व्यक्ति उसे फैक्ट्री के अंदर लेकर गया और उसकी मैनेजर सी.के. सिंह स्टोर कीपर संदीप तिवारी व एक व्यक्ति रमेश अग्रवाल जिसने कहा उक्त टेण्डर उसके नाम से उक्त तीनों व्यक्तियों से उसकी चर्चा हुई और उसकी स्क्रेप का सौदा 10 लाख रुपये में तय हो गया तो उसने कंपनी के अंदर ट्रक नंबर एम.पी. 07 एच.बी. 1788 एवं दूसरा ट्रक नंबर एम.पी. 07 एच.बी. 1307 को कंपनी के अंदर स्क्रेप लाने के लिये बुला लिये थे। जैसे ही ट्रक में स्क्रेप लदा तो उसके पास संदीप तिवारी, सी.के. सिंह मैनेजर व रमेश अग्रवाल व दो अन्य लोगों ने आपस में बात की और उससे कहा कि दस लाख रुपये द दो उसने, अपने लड़के प्रमोद ने दस लाख रुपये गिनाये और इन्हीं को दे दिये। उसने थोड़ी देर बाद कहा कि उसे रसीद दो, गाड़ी बाहर निकालनी है तो आरोपीगण ने कहा कि आपने रुपये जमा नहीं किये हैं। वह गाड़ी को बाहर नहीं निकलने देंगे और आरोपीगण ने उसे कंपनी के बाहर निकाल दिया।

उक्त घटना के संबंध में फरियादी बैजनाथ सिंह राठौर द्वारा पुलिस थाना मालनपुर को लेखीय आवेदन दिया गया था, जिसकी जाँच पर से अभियुक्तगण सी0के0 सिंह, संदीप तिवारी, रमेश अग्रवाल सहित दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 406 व 420 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया जाकर, उनके द्वारा फरियादी से अपनी कंपनी के अंदर स्क्रेप बेचने की बातचीत करने व दो ट्रक क्रमांक एम.पी. 07 एचबी 1788 व एम.पी. 07 एचबी 1307 में स्क्रेप भरवाने के पश्चात् फरियादी से 10

लाख रुपये की धोखाधड़ी करना बताया गया है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है एवं मामले में अनुसंधान अपूर्ण होकर प्रगति पर है। साथ ही इस स्टेज पर प्रथम दृष्टया यह नहीं माना जा सकता है कि मामला सिविल प्रकृति का है, क्योंकि अग्रिम जमानत के इस प्रक्रम पर मामले के गुण-दोषों पर विचार नहीं किया जा सकता है। अतएव मामले के गुण दोषों के संबंध में आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार योग्य नहीं पाये जाते हैं तथा आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत सभी सम्मानीय न्यायदृष्टांतों की तथ्य एवं परिस्थितियां वर्तमान प्रकरण की तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण उनका कोई लाभ आवेदक पक्ष को नहीं दिया जा सकता है।

अतः अपराध की गंभीरता सहित मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदकगण अरविंद, संदीप, सुनील व चेतन को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः उनकी ओर से प्रस्तुत पृथक-पृथक जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं०प्र०सं० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किये जाते हैं।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को विधिवत बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस०के०गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड